

\* ई-मेल

स्पीड पोस्ट/निबंधित  
डाक

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत कुर्जी नाला का निर्माण (DPS से शकुन्तला मार्केट होते हुए अटल पथ कुर्जी तक) योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत कुर्जी नाला का निर्माण (DPS से शकुन्तला मार्केट होते हुए अटल पथ कुर्जी तक) योजना की स्वीकृति विभागीय संकल्प ज्ञापांक-884, दिनांक-07.03.2025 द्वारा प्रदान की गयी। उक्त योजना हेतु विभागीय राज्यादेश सं०-279 दिनांक-12.09.2025 द्वारा कुल राशि ₹500.00 लाख मात्र आवंटित किया जा चुका है। उक्त योजना हेतु प्रबंध निदेशक, बुडको का पत्रांक-86 दिनांक- 08.01.2026 द्वारा अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ-8 में अंकित राशि ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र वित्तीय वर्ष, 2025-26 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	PL खाता संख्या	HOA संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर निगम, पटना	नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत कुर्जी नाला का निर्माण (DPS से शकुन्तला मार्केट होते हुए अटल पथ कुर्जी तक) योजना।	PTSPL A006	00-8448-00-120-0014-00-01	18099.00	500.00	1500.00	16099.00

अर्थात् राशि ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-227, दिनांक-28.03.2025 एवं पत्रांक-950, दिनांक-12.12.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। उप सचिव-सह-निकासी एवं

**व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडको के PL खाता तथा HOA में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।**

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र का निकासी निम्नलिखित विपत्र कोड से किये जायेंगे।

(i) उक्त स्वीकृत राशि ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र में से राशि ₹1200.00 लाख (बारह करोड़ रुपये) मात्र की निकासी माँग संख्या- 48, नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01- राज्य के राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 191- नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0115-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217011910115, विषय शीर्ष-0115.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

(ii) उक्त स्वीकृत राशि ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र में से राशि ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रुपये) मात्र की निकासी माँग संख्या- 48, नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01- राज्य के राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217017890102, विषय शीर्ष-0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार सहित के नियम- 286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-61, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. उक्त राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों, वित्त विभागीय संकल्पों एवं बिहार सरकार के निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355वि (2), दिनांक-05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भौतिक प्रगति के Milestone के अनुसार संवेदक/फर्म को राशि का भुगतान किया जाय। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के पत्रांक-2460, दिनांक-04.08.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा संवेदक/फर्म को किये गये भुगतान की सूचना प्रवर्तन निदेशालय एवं संबंधित अन्य जाँच एजेंसियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-04/सड़क-16-12/2025 के पृष्ठ सं०- 27  
...../टि० पर दिनांक- 22/1/26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 29 /टि०  
पर दिनांक- 24/1/26 को प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-04/सड़क-16-12/2025

459

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 28/01/26

**प्रतिलिपि:**— संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/उप सचिव-सह-ब्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 04 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।